प्रेषक,

**महानिदेशक,**

दीनदयाल उपाध्याय,

राज्य ग्राम्य विकास संस्थान,

बख्शी का तालाब, लखनऊ।

सेवा में,

**जिलाधिकारी,**

जनपद– मैनपुरी।

पत्रांक : 42 /पिम वर्कशाप/2013–14 दिनांक : 06 जनवरी, 2014

**विषय : उ0प्र वाटर सेक्टर रिस्ट्रक्चरिंग परियोजना के द्वितीय चरण क्षेत्र में विभिन्न स्टेक होल्डर्स में ''सहभागी सिंचाई प्रबन्धन'' के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने हेतु जनपद स्तरीय लांचिग कार्यशाला का आयोजन।**

महोदय,

कृपया इस कार्यालय के पत्रांक 3422 दिनांक 24.12.2013 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा उपर्युक्त विषयक जनपद स्तरीय लांचिग कार्यशाला में विभिन्न विभागों के अधिकारियों व कर्मचारियों को भाग लेने हेतु नामित करने के सम्बन्ध में अनुरोध किया गया था।

2. अपरिहार्य कारणों से उक्त कार्यशाला जनपद मैनपुरी में दिनांक 27.01.2014 के स्थान पर **दिनांक 28.01.2014** को आयोजित की जायेगी।

3. अनुरोध है कि दिनांक 28.01.2014 को आयोजित होने वाली जनपद स्तरीय लांचिग कार्यशाला में अपने जनपद से निम्न तालिका में अंकित विवरण के अनुसार प्रतिभागियों को भाग लेने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें :–

| क्र0 सं0 | विभाग का नाम | प्रतिभाग करने वाले अधिकारियों की संख्या | प्रतिभागी करने वाले कर्मचारियों की संख्या | प्रतिभाग करने वाले प्रगतिशील कृषक/चुने हुए पंचायत प्रतिनिधियों की संख्या |
|---|---|---|---|---|
| 1. | ग्राम्य विकास विभाग | 5 | 10 | 20 |
| 2. | पंचायती राज विभाग | 1 | 4 | -- |
| 3. | उद्यान विभाग | 1 | 2 | 2 |
| 4. | लद्यु सिंचाई विभाग | 1 | 4 | — |
| 5. | कृषि विभाग | 1 | 4 | 5 |
| 6. | भूमि विकास एवं जल संसाधन विभाग | 1 | 5 | 10 |

क्रमशः ..........2/–

**नोट** – प्रतिभागी कृषकं/ग्राम रोजगार सेवकों व पंचायत प्रतिनिधियों को निर्धारित दर पर यात्रा–व्यय का भुगतान संस्थान द्वारा किया जायेगा।

**संलग्नक : उपरोक्तानुसार।**

भवदीय,

o/c **(डॉ० वरदानी)**
संयुक्त निदेशक
कृते महानिदेशक

**प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु –**

1. **आयुक्त एवं प्रशासक रामगंगा,** समादेश क्षेत्र विकास परियोजना, 117/एच–2/193, पान्डुनगर, कानपुर को संस्थान के पत्रांक 3518 दिनांक 31.12.2013 के क्रम में इस आशय से प्रेषित कि सम्बन्धित का संशोधित तिथि में प्रतिभागियों का नामांकन करने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।
2. **आयुक्त/रोजगार गारण्टी आयुक्त,** ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0, 10वां तल जवाहर भवन, लखनऊ को संस्थान के पत्रांक 527 दिनांक 20.12.2013 के क्रम में इस आशय से प्रेषित कि सम्बन्धित को संशोधित तिथि में प्रतिभागियों का नामांकन करने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।
3. **मुख्य विकास अधिकारी,** जनपद– मैनपुरी।
4. **मुख्य अभियंता,** पैक्ट, उ0प्र0 वाटर सेक्टर रिस्ट्रक्चरिंग परियोजना, उतरेटिया, लखनऊ।
5. **आचार्य,** क्षेत्रीय ग्राम्य विकास संस्थान, मैनपुरी को इस आशय से प्रेषित कि संशोधित तिथि के अनुसार अपने जनपद के जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी से सम्पर्क कर प्रतिभागियों का नामांकन कराना सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

o/c **(डॉ० वरदानी)**
संयुक्त निदेशक
कृते महानिदेशक